भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5399

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

सैटेलाइट शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना

†5399. श्री नवीन जिंदल:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़े शहरों के आसपास के कस्बों में अवसंरचना को बढ़ाने हेतु सैटेलाइट शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसटी) शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यूआईडीएसएसटी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं साथ ही यह सैटेलाइट शहरों की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करने का लक्ष्य रखता है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत परिवहन, स्वच्छता और आवास जैसे अवसंरचना के कौन से विशिष्ट क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन में 2009 में इसकी शुरुआत के पश्चात् से हुई प्रगति क्या है और लाभान्वित सैटेलाइट शहरों की संख्या कितनी है तथा मार्च 2025 तक प्राप्त किए गए सुधार क्या है; और

(ङ) संपूर्ण देश में और अधिक शहरों को कवर करने और शहरी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए उक्त योजना का विस्तार या संशोधन करने की भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डब्लपमैंट स्कीम फॉर सैटेलाइट (यूआईडीएसएसटी) की प्रायोगिक योजना जुलाई 2009 में 500 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ अनुमोदित की गई थी, ताकि सात मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों/मेगा शहरों के आस-पास स्थित चयनित सैटेलाइट कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना प्रदान की जा सके। यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007 से 2012) के साथ समाप्त हो गई थी। हालाँकि यह योजना 31 मार्च, 2018 से बंद कर दी गई थी। इस योजना में सात सेटेलाइट टाउन अर्थात् पिलखुवा (उत्तर प्रदेश), विकाराबाद (तेलंगाना), सोनीपत (हरियाणा), वसई-विरार (महाराष्ट्र), श्रीपेरंबदूर (तमिलनाडु), साणंद (गुजरात) और होसकोटे (कर्नाटक) शहर शामिल हैं, योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे:-

i. शहरी बुनियादी ढांचा सुविधाओं जैसे परिवहन, पेयजल, सीवरेज, जलनिकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विकास करना;
ii. एनर्जी ऑडिट, वाटर ऑडिट, किफायती प्रौद्योगिकियों आदि जैसे सुधारों को कार्यान्वित करके शहरी बुनियादी ढांचा सुविधाओं की स्थिरता को बढ़ाना; तथा
iii. लेखांकन की आधुनिक उपार्जन-आधारित दोहरी प्रविष्टि प्रणाली को अपनाना, विभिन्न शहरी सेवाओं के लिए आईटी अनुप्रयोगों, जीआईएस और एमआईएस का उपयोग करते हुए ई-गवर्नेंस की प्रणाली शुरू करना; तथा नागरिक सुविधा केंद्रों की स्थापना करना आदि जैसे शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर सुधारों को बढ़ावा देना।

इस योजना के तहत कुल 17 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई जिसके लिए 459.70 करोड़ रुपये जारी किए गए। पिलखुआ, उत्तर प्रदेश (70-100%), विकाराबाद, तेलंगाना (100%), सोनीपत, हरियाणा (40-100%), वसई विरार, महाराष्ट्र (100%), श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु (80-100%), सानंद, गुजरात (60-100%) और होसकोटे, कर्नाटक (99%) में भौतिक प्रगति सहित जल आपूर्ति, भूमिगत सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जीआईएस आधारित मानचित्र और पारिवारिक सर्वेक्षण में सुधार के

मामले में सभी सात सेटेलाइट टाउन में इसके कार्यान्वयन के दौरान इस योजना ने काफी अच्छी प्रगति की।

(ड.) यूआईडीएसएसटी योजना एक प्रायोगिक योजना थी और इसे 31.03.2018 को बंद कर दिया गया था। यूआईडीएसएसटी की तर्ज पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2014 से कई मिशन/योजनाएं जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू), प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और शहरी परिवहन योजना शुरू की। जबकी एसबीएम-यू ने स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक नगरों को शामिल किया, वहीं अमृत ने जलापूर्ति और सीवरेज के लिए अपने पहले चरण में 500 शहरों को शामिल किया। अपने दूसरे चरण में, 4902 शहरों को जलापूर्ति के लिए लक्षित किया गया है इन मिशनों/योजनाओं ने राज्यों/यूएलबी को संबंधित मिशन/योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार विशेष उद्देश्यों के लिए निधियां प्राप्त करके यूआईडीएसएसटी के घटकों सहित शहरी विकास को बढ़ावा देने में सुविधा प्रदान की है।

*****